

दिनांक	फर्द अहकाम
<p>29/10/2021</p> <p>वावूलाल राव सुदृ राव उपखण्ड अधिकारी राज</p> <p>जि. वंकी उपखण्ड नं. 1 का की फर्द नं. H.S. प्र. 29-10-21 (अधिकाधिक सुनवाई)</p>	<p>फर्द अहकाम</p> <p>नमजय ए. प्र. वली वादीगण एवं उपखण्ड नं. 1, 2 के फर्द नं. 5-30 PM का राजीनामा पेश करने पर (तलब की गई) राजीनामा में अंकित बिन्दु हैं पदाकारण के मध्य राजीनामा हो गया है। राजीनामा में अंकित बिन्दु हैं कि उपरोक्त इनका भी मुकदमा में पदाकारण के मध्य राजीनामा हो गया है। वादीगण को प्रतिवादी नं. 2 द्वारा वादीगण के नं. 2 रतन 510 मंगल से वादीगण के धाके पास आवादी भूमि नं. 30X33 फिर जमीन रतन 510 मंगल की जमीन में से वादीगण से दिलवा ली है। इसलिए वादीगण एवं प्रतिवादी नं. 2 के मध्य भूमि का मुताबिक हिस्सा बंटवारा हो गया है। वादीगण एवं प्रतिवादी नं. 2 के पास मुताबिक हिस्सा बंटवारा कराव (जमीन का गई है। अब वादीगण एवं प्रतिवादी नं. 2 के मध्य उक्त डाका हाजा में वादीगण राजीनामा के सम्बन्ध में कोई विवाद शेष नहीं रहा है। एवं नं. 4 पर भूमि का मुताबिक हिस्सा बंटवारा हो गया है। इसलिए मुताबिक राजीनामा डाका वादीगण के तलब फलान्ता जावे।</p> <p>कः = मुताबिक राजीनामा डाका वादीगण मुकदमा नं. 329/2021 इनका भी वावूलाल व/र राजू व/र डाका वावल लकाहमा व स्थायी निषेधाज्ञा उबारिज किया जाता है। पत्रावली के तलब मुताबिक डाका हाजा वकरील शखिल इफ्तल है।</p> <p>कः 3 श सुले न्यायालय में मुताबिक</p>

किस्म.....  
नय 3

उपखण्ड अधिकारी  
हिण्डौन सिटी (करौली)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन जिला करौली